भूली बाई बनाम जगन्नाथ

अपील संख्या : 2019/00055 एवं अपील संख्या 2019/56

28.09.2020	अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलें न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा संख्या 574/2009 पेश किया था जिसे वाद संख्या 28/09 के साथ समेकित किया । प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना और साक्ष्य लिये बिना लोक अदालत में रखा । लोक अदालत में जो राजीनामा पेश किया उसमें सभी के हस्ताक्षर नहीं थे । तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करे अंतिम डिक्री पारित की । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के पिता फून्दिया जी की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने धोखे से दिनांक 12.05.2004 को रिलीज डिक्री पर अंगूठा करवा लिया जिसको निरस्त करने के लिए सिविल न्यायालय में दावा पेश किया हुआ है । इन तथ्यों को वादी ने छुपाया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव बनाते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । पूर्व में भी इस न्याालय के द्वारा दिनांक 05.07.2019 इस अपील में निर्णय पारित किया गया है इसको ध्यान में रखते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावे । रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट के कथन से सहमति व्यक्त की है । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 05.07.2019 को निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक और अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई, दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है अब पुनः परीक्षण न्यायालय के इन्हीं निर्णयों के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2019 /00055 एवं 2019/00056 इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती हैं । आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । 28/9/2020 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा